


उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



सुषमा

4/637



में डी0एम0 कटियार प्रभारी अधिकारी-सम्पत्ति विकास प्राधिकरण लखनऊ.विक्रेता की ओर से एवं श्रीमती सुषमा वर्मा आयु लगभग-35 वर्ष पत्नी श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह निवासी-ग्राम व पोस्ट- नानमऊ जिला-बाराबंकी केता की ओर से भूखण्ड संख्या- 4/637 स्थित

कमरा:.....2


सुषमा वर्मा

Prabhari Adhikari Sampa
Lucknow Development Authority
Lucknow

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु. 20000

बीस हजार रुपये



TWENTY
THOUSAND RUPEES

Rs. 20000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



(2)

सेक्टर-4 गोमती नगर विस्तार योजना लखनऊ के सम्बन्ध में फ्रीहोल्ड
शुल्क सहित भूमि का मूल्य रु0 6,72,000.00 मात्र कुल जमा
धनराशि रु0 7,51,466.00 मात्र की एवज में यह विक्रय विलेख
निष्पादित कर रहा हूँ जिसका मानचित्र तथा विक्रय विलेख से

कमरा:.....3

सुषमा वर्मा

Prabhat Adhikari Sampa
Lucknow D. & Top. Authority
Lucknow

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100



ONE
HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AG 987960

25 MAR 2010

(3)

सम्बन्धित सभी नियम एवं शर्तों साथ में सलग्न छपे हुए विक्रय विलेख फार्म में विस्तृत रूप से उल्लिखित की गयी है। यह विलेख इस शर्त के साथ निष्पादित किया जा रहा है कि यदि किसी स्तर पर वास्तविक धनराशि पूर्ण रूपेण जमा नहीं हुई है तो आवंटी उसे

कमशः.....4

शुष्मा वर्मा

Prabhari
Lucknow
Lucknow
Prabhari Sampa
Lucknow
Lucknow
Lucknow


LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY






TO SRI/SMT. :
 HOUSE NO. : 4/D-637
 : 7.50 M. X 20.0 M.
 :
 : 150.00 SQMT.
 :

BOUNDARY:
 NORTH : PLOT NO. 4/D-611
 : 9.00 M. WIDE ROAD
 SOUTH :
 EAST : PLOT NO. 4/D-636
 WEST : PLOT NO. 4/D-638

SECTOR-4, GOMTI NAGAR EXTENTION, LUCKNOW.



Prabhat Adhikari Sampa
 Lucknow Development Authority
 Lucknow

DRG. NO. RPL/SEC-4/GNE EXT./2010	DATE :- 25/03/2010
THIS LEASE PLAN IS THE PART OF APPROVED LAYOUT OF SEC-4, GOMTI NAGAR VISTAR SCHEME.	NORTH :-
THIS REVISED LAYOUT PLAN IS APPROVED IN BOARD MEETING DATED 24.12.08 VIDE RESOLUTION NO. 1347. THIS PLAN PREPARED WITH STANDAR SIZE.	  RAM ADHAR D.M.
	 ANITA SRIVASTAVA A.T.P.



लखनऊ विकास प्राधिकरण

विक्रय विलेख

यह विलेख लखनऊ विकास प्राधिकरण जो कि राष्ट्रपति अधिनियम ११ सन् १९७३

पुनर्विधायन, उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३० सन् १९७४ की धारा-४ के अधीन गठित एक निकाय है, के प्रभारी अधिकारी सम्पत्ति, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ के माध्यम से (जिसे इस विलेख में आगे विक्रेता कहकर सम्बोधित किया गया है, जिसका अर्थ जब तक कि उसके विपरीत भाव में प्रयुक्त न किया गया हो विक्रेता उसके प्रशासकों, अधिशासकों, विधिक प्रतिनिधियों समनुदेशितों से लिया जायेगा) प्रथम पक्ष

के द्वारा

श्री/श्रीमती/कुमारी शुभमा वर्मा उम्र लगभग ३६ वर्ष

पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री शुभेन्द्र उताप एवं श्री/श्रीमती

उम्र लगभग २ वर्ष पुत्र/पत्नी श्री निवासी

प्लॉट नं. २२ - जगतपुर, डि. ७ - ए. २। १ जिसे कि इस विलेख में क्रेता कहकर सम्बोधित किया गया है, जिसका अर्थ जब तक कि उसे विपरीत भाव में प्रयुक्त न किया गया हो क्रेता स्वयं उसके उत्तराधिकारियों विधिक प्रतिनिधियों एवं समनुदेशितों से

लिया जायेगा, द्वितीय पक्ष के हित में निष्पादित किया गया

चूंकि जनहित में भूमि अभ्यर्पित करके उसे विक्रेता द्वारा विकसित किया गया है तथा

क्रेता के आवेदन पत्र दिनांक के फलस्वरूप नकद/स्ववित्त पोषित/किराया

क्रय-पद्धति के अन्तर्गत दिनांक को रूपया ६००,०००/-

प्रीमियम मूल्य के प्रति फलस्वरूप २६२५.५० रुपया प्रतिवर्ष लीज प्लान में भूखण्ड/भवन

संख्या ५६३७ क्षेत्रफल १५०.०२ वर्गमीटर सलग्न लीज प्लान के अनुसार ६० वर्ष की

अवधि के लिये क्रेता के पक्ष में रूपया प्रतिवर्ष लीजरेन्ट पर आवंटित किया गया

था। चूंकि शासनादेश संख्या १६३६/६-आ-१-६५-८० मिस/८६ आवास अनुभाग-१ दिनांक

१०-५-१९६५ द्वारा भूमि के मूल्य की १२ प्रतिशत धनराशि फ्रीहोल्ड शुल्क के रूप में लेकर

उसे फ्रीहोल्ड भूमि के रूप में हस्तान्तरित करने हेतु प्राविधान किया गया है,

(Signature)
Prabhat Singh
Lakhnau Development Authority
Lucknow

शुभमा वर्मा

तदनुसार क्रेता द्वारा उक्त धनराशि रूपया ₹ 2,000/-
(शब्दों में रूपया) दो हजार मात्र

धनराशि रूपया ₹ 6,00,000/- तथा प्रीमियम की
(शब्दों में रूपया) छह लाख मात्र

केवल लखनऊ विकास प्राधिकरण कोष में जमा कर दी गयी है जिसको पावती विक्रेता इस विलेख के माध्यम से स्वीकार करता है

अतः यह विलेख निम्न प्रकार से सन्दर्भित करता है:-


यह कि क्रेता से उपरोक्तानुसार समस्त मूल्य रूपया ₹ 72,00,000/- प्राप्त करने के पश्चात विक्रेता द्वारा भूखण्ड/भवन संख्या 4/637

क्षेत्रफल 12.10 वर्गमीटर स्थित से. 2-2-4 जो नदी नाला योजना

जिसका विस्तृत विवरण अन्त में दिया गया है को फ्रीहोल्ड भूमि के रूप में क्रेता के पक्ष में विक्रय करते हुए सदैव के लिये हस्तान्तरित कर दिया गया है एवं पूर्णस्वामित्वाधिकार इस विलेख के माध्यम से क्रेता में सन्निहित कर दिये गये हैं दि. 15/07/2011 नियमानुसार भूमि का उपयोग एवं उपभोग करे।

यह कि विक्रीत भूखण्ड/भवन का कब्जा इस विलेख के माध्यम से क्रेता को सौंप दिया गया है।

यह कि भूमि सम्बन्धी अधिकार भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त किये जाते हैं एवं भूखण्ड/भवन आवंटित करने के समय चूंकि विक्रेता विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी के द्वारा दिये गये अभिनिर्णय (एवार्ड) के आधार पर ही प्रश्नगत भूखण्ड/भवन का प्रीमियम मूल्य एवं तदनुसार फ्रीहोल्ड शुल्क निर्धारित किया गया है परन्तु यदि भविष्य में न्यायालय द्वारा किसान को देय प्रतिकर, तोषण (सोलेशियम) एवं इस मद में ब्याज की वृद्धि के आदेश किये जायें तो क्रेता इस हेतु सहमत होता है एवं प्रसंविदा करता है कि उपरोक्त प्रकार के किसी आकस्मिक कारण से हुई वृद्धि की जिम्मेदारी क्रेता द्वारा धारित भूखण्ड/भवन क्षेत्रफल भूविन्यास योजना के सम्पूर्ण क्षेत्रफल के अनुपात में क्रेता पर स्वतः स्थानान्तरित हो जायेगी एवं क्रेता तदनुसार हुई वृद्धि पर लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार दिये गये मांग पत्र की सूचना प्राप्ति के तीन सहित के अंदर क्रेता द्वारा अदायगी कर दी जायेगी इसमें असफल रहने पर यह राशि भूराजस्व के बकाये के रूप में वसूल की जायेगी।


शुष्मा बर्मा
Prabhat Singh & Sampa
Lucknow Authoris
T. U. Know

(3)

8. यह कि क्रेता उक्त परिसर अथवा निर्मित स्थल के पूर्ण या किसी भू-भाग या हिस्से को व्यक्तिगत निवास ग्रह के अतिरिक्त सार्वजनिक रूप से धार्मिक स्थल अथवा किसी ऐसे उपयोग में नहीं लायेगा जिससे किसी प्रकार की कोई अशान्ति उत्पन्न होती हो अथवा पास पड़ोस में भूखण्ड/भवन धारकों को बाधा या क्षति पहुंचाती हो। क्रेता लखनऊ महायोजना में निर्धारित भू उपयोग से अन्यथा प्रयोग नहीं करेगा और न करने की अनुमति देगा इसका उल्लंघन करने पर विधि अनुसार लगाये गये दण्ड का क्रेता भागी होगा।

9. यह कि यदि क्रेता के द्वारा भूखण्ड अथवा भवन दोनों से सम्बन्धित अधिकारों का अन्तरण किये जाने की दशा में इस विलेख में अंकित समस्त नियम व उपनियम तद्वै प्रथम अन्तरिती द्वितीय अन्तरिती एवं लगातार प्रत्येक अन्तरिती पर यथावत लागू रहेगी तथा क्रेता द्वारा किये गये इस प्रसविंदा को वे सभी मानने के लिये बाध्य होंगे।

10. यह कि यदि किसी भी समय उक्त भूखण्ड/भवन सम्बन्धी किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष की सहमति से विवाद हेतु एक मध्यस्थ की नियुक्ति की जा सकेगी जो कि विवाद सन्दर्भित होने के पश्चात दोनों पक्षकारों की सुनवाई करके अपना निर्णय देगा। किसी भी स्थिति में विवाद का स्थानीय क्षेत्राधिकारी केवल लखनऊ स्थित न्यायालय को ही प्राप्त होगा।

11. यह कि 92 प्रतिशत फ्रीहोल्ड शुल्क सन्निहित करते हुए भूमि का मूल्यांकन रूपया 6,72,12,000/- निर्माण लागत व अन्य धनराशि रू० 1,51,466/- कुल धनराशि रू० 8,23,586/- है जिस पर नियमानुसार स्टैम्प शुल्क की अदायगी क्रेता के द्वारा दी गई है।

12. यह कि क्रेता समय-समय पर लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड एवं शासनादेश द्वारा जारी किये गये नियमों, विनियमों एवं प्राविधानों का पालन करता रहेगा। प्रमाण के रूप में इस विक्रय विलेख पर विक्रेता के लिये एवं उसकी तरफ से प्राधिकृत अधिकारी तथा क्रेता ने स्वयं अपने स्वरथ चित्त होकर इस विक्रेता विलेख पर अपने हस्ताक्षर बनाये तथा विक्रेता की सील भी साक्षियों की उपस्थिति में लगायी गयी।

शुषमा वर्मा

Prabhat Adhikari Sampa
Lucknow Development Authority
Lucknow

(3)

8. यह कि क्रेता उक्त परिसर अथवा निर्मित स्थल के पूर्ण या किसी भू-भाग या हिस्से को व्यक्तिगत निवास ग्रह के अतिरिक्त सार्वजनिक रूप से धार्मिक स्थल अथवा किसी ऐसे उपयोग में नहीं लायेगा जिससे किसी प्रकार की कोई अशान्ति उत्पन्न होती हो अथवा पास पड़ोस में भूखण्ड/भवन धारकों को बाधा या क्षति पहुंचाती हो। क्रेता लखनऊ महायोजना में निर्धारित भू उपयोग से अन्यथा प्रयोग नहीं करेगा और न करने की अनुमति देगा इसका उल्लंघन करने पर विधि अनुसार लगाये गये दण्ड का क्रेता भागी होगा।

9. यह कि यदि क्रेता के द्वारा भूखण्ड अथवा भवन दोनों से सम्बन्धित अधिकारों का अन्तरण किये जाने की दशा में इस विलेख में अंकित समस्त नियम व उपनियम तदैव प्रथम अन्तरिती द्वितीय अन्तरिती एवं लगातार प्रत्येक अन्तरिती पर यथावत लागू रहेगी तथा क्रेता द्वारा किये गये इस प्रसविंदा को वे सभी मानने के लिये बाध्य होंगे।

10. यह कि यदि किसी भी समय उक्त भूखण्ड/भवन सम्बन्धी किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष की सहमति से विवाद हेतु एक मध्यस्थ की नियुक्ति की जा सकेगी जो कि विवाद सन्दर्भित होने के पश्चात दोनों पक्षकारों की सुनवाई करके अपना निर्णय देगा। किसी भी स्थिति में विवाद का स्थानीय क्षेत्राधिकारी केवल लखनऊ स्थित न्यायालय को ही प्राप्त होगा।

11. यह कि 92 प्रतिशत फ्रीहोल्ड शुल्क सन्निहित करते हुए भूमि का मूल्यांकन रूपया 6,72,000/- निर्माण लागत व अन्य धनराशि रु० 1,51,464/- कुल धनराशि रु० 8,23,464/- है जिस पर नियमानुसार स्टैम्प शुल्क की अदायगी क्रेता के द्वारा दी गई है।

12. यह कि क्रेता समय-समय पर लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड एवं शासनादेश द्वारा जारी किये गये नियमों, विनियमों एवं प्राविधानों का पालन करता रहेगा। प्रमाण के रूप में इस विक्रय विलेख पर विक्रेता के लिये एवं उसकी तरफ से प्राधिकृत अधिकारी तथा क्रेता ने स्वयं अपने स्वस्थ चित्त होकर इस विक्रेता विलेख पर अपने हस्ताक्षर बनाये तथा विक्रेता की सील भी साक्षियों की उपस्थिति में लगायी गयी।


शुष्मा वर्मा

Prabhat Adhikari Sampa
Lucknow Development Authority
Lucknow


(8)

उपरिसंदर्भित विक्रीत भूखण्ड / भवन का विवरण

भू विन्यास योजना भूखण्ड / भवन संख्या 4/637 प्रकार " ग्री " काकाश्री
 कुल क्षेत्रफल 150.00 वर्गमीटर स्थित खे-20-4 जोत 07/10/1974
 योजना लखनऊ जिसकी पूर्वी भुजा की माप 20.00 मीटर, पश्चिमी भुजा 20.00
 मीटर, उत्तरी भुजा 11.50 मीटर, दक्षिणी भुजा 17.50 मीटर है
 प्रश्नगत भूखण्ड की चौहद्दी निम्न प्रकार से है -
 पूरब 20.00 - 4/7-636 पश्चिम 20.00 - 4/7-638
 उत्तर 20.00 - 4/7-611 दक्षिण 01.00 - 02/18/2330
 साक्षीगण :-

1. हस्ताक्षर 
 नाम (देवेंद्र शर्मा)
 उम्र 43 वर्ष
 पिता का नाम रमेश चंद्र शर्मा
 व्यवसाय नौकरी
 निवास लखनऊ
 दिनांक

विक्रेता के लिये तथा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, लखनऊ विकास प्राधिकरण


 (विक्रेता)
 Prabhari Shikari Sampa
 Lucknow Development Authority
 Lucknow

2. हस्ताक्षर शुषमा वर्मा
 नाम शुषमा वर्मा
 उम्र 35 वर्ष
 पिता का नाम गृहणी
 व्यवसाय गृहणी
 निवास खे-20-4 - नानभद्र जनपद - वादावली
 दिनांक 31-3-2016

(क्रेता)
शुषमा वर्मा

रजिस्ट्रेशन अधि० 1908 की धारा-32 ए० के अनुपालन हेतु,
फिंगर्स प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता नाम व पता :-

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता नाम व पता :- श्री मती सुषमा वर्मा
पता - ग्राफ व पोस्ट - मानमऊ - जनपद - बाराबंशी

Prasuta Karta / Vikreta
Registration Authority
के हस्ताक्षर

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



विक्रेता / क्रेता के हस्ताक्षर
सुषमा वर्मा

बोध दिनांक 21/3/10

9667

पुस्तक संख्या I

के पृष्ठ 81

व्य. रजिस्ट्री 100

4767



भय (दिलीप)